

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 01/2026-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि....(अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 248-सीमाशुल्क, दिनांक 2 अगस्त, 1976, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 617(अ), दिनांक 2 अगस्त, 1976 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	अधिसूचना सं. 32/1997-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 1997, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.188(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	अधिसूचना सं. 24/2001-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2001, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3,	उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान

	उपखंड (i) में सा.का.नि.123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001 के तहत प्रकाशित हुई	पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4.	अधिसूचना सं. 25/2001-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2001, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.124(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्र. सं. 69क के समक्ष, स्तंभ (3) में, “विद्युत चालित वाहनों” शब्दों के पश्चात “या बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
6.	अधिसूचना सं. 36/2024-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना में— (i) सारणी में क्रम सं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ लोपित की जाएंगी; (ii) दूसरे पैराग्राफ में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— “परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 30 अप्रैल, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी।”
7.	अधिसूचना सं. 29/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 9 मई, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 9 मई, 2025 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात तथा अनुलग्नक से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी।”

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 248-सीमाशुल्क, दिनांक 2 अगस्त, 1976, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 617(अ), दिनांक 2 अगस्त, 1976 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2024-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित हुई थी।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 32/1997-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 1997, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 188(अ), दिनांक 1 अप्रैल 1997 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई 2024 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई 2024 के तहत प्रकाशित हुई थी।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या 24/2001-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित हुई थी।
4. प्रधान अधिसूचना संख्या 25/2001-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 124(अ), दिनांक

1 मार्च, 2001 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित हुई थी।

5. प्रधान अधिसूचना संख्या 25/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2025 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 104(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2025 के तहत प्रकाशित हुई थी।
6. प्रधान अधिसूचना संख्या 36/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित की गई थी।
7. प्रधान अधिसूचना संख्या 29/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 9 मई, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 9 मई, 2025 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितंबर, 2025 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 645(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत प्रकाशित हुई थी।